उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-128/2015/2116/41-2015-24 यो0/15

लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर 2015

शुद्धि-ज्ञाप

जनपद अमेठी के जगदीशपुर में स्थित 5.00 एकड. भूमि भारत सरकार द्वारा गठित समिति (इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर) के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 30.69 लाख की स्वीकृति शासनादेश सं0 120/2015/1722/41-15-24 यो0/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- शासनादेश सं0 120/2015/1722/41-15-24 यो0/2015 दिनांक 13 अगस्त 2015 के प्रस्तर-3 में एवं संलग्न पुनर्विनियोग के प्रपत्र के कालम-1 में लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-जनपद आगरा में ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य त्रुटिवश अंकित हो गया है। अतः इसके स्थान पर लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-800-अन्य व्यय-05-जनपद आगरा में ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य पढा जाय।

सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव।

संख्या-128/2015/2116(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
5- जिलाधिकारी, अमेठी।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव

यू0ओ0

http://shasanadesh.up.nic.in